न्यायालय अतिरिक्त सभागीय आयुक्त कोटा संभाग, कोटा

(निर्णय बइजलास ममता कुमारी तिवारी आर0ए0एस0 अति0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्याः 191/2024/अपील/एलआरएक्ट/बून्दी
दायरा दिनांक 01.08.2024
अन्तर्गत धाराः 75 राज0 भू राजस्व अधि0, 1956

उनवान

1. दीपक कुमार
2. प्रदीप कुमार
   पिसरान रतनलाल जाति खटीक निवासी ग्राम बडाखेडा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी राज०
3. रतनलाल आत्मज नारायण जाति खटीक निवासी ग्राम बडाखेडा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी राज०

.....अपीलान्ट

बनाम

1. मो० हुसैन
2. शरीफ मोहम्मद
   पिसरान भंवरलाल मंसुरी जाति मुसलमान निवासीगण ग्राम बडाखेडा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी राज०
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार इन्द्रगढ
4. ग्राम पंचायत बड़ाखेड़ा सरपंच के माध्यम से ग्राम पंचायत बड़ाखेड़ा तहसील इंद्रगढ़ जिला बूंदी राज
5. सचिव ग्राम पचांयत बडाखेडा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी

....रेस्पो0

उपस्थित : श्री धीरेन्द्र मालव, अभिभाषक –अपीलांट
श्री नरेन्द्र कुमार गुप्ता, अभिभाषक – रेस्पो0

::निर्णय::

दिनांक 16.07.2025

अपीलार्थी ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, लाखेरी (संक्षेप मे अधीनस्थ न्यायालय) द्वारा प्रकरण संख्या 27/प्रा0पत्र/2021 बउनवान मौ0 हुसैन बनाम दीपक वगै0 मे पारित निर्णय दिनांक 16.11.2022 के विरूद्ध अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 अन्तर्गत इस न्यायालय मे पेश की गई।

अति. संभा. आयुक्त
कोटा

1. प्रस्तुत प्रकरण के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार है कि रेस्पो0 क्र. 1 एवं 2 के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 का प्रस्तुत कर प्रार्थीगण के खाते एव कब्जेकाश्त की कृषिभूमि खाता सं0 465 के खसरा सं0 2525 रकबा 1.90 है वाके ग्राम बड़ाखेड़ा तहसील इन्द्रगढ़, जिला बून्दी का सीमांकन करवाकर पत्थरगढ़ी करवायी जाने हेतु तहसीलदार इन्दग्रढ को निर्देश प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यों के संदर्भ में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विवादित आराजी खसरा सं0 2525 व खसरा सं0 2527 की सीमा पर विवाद होने से पत्थरगढ़ी, सीमा चिन्ह निर्धारित करने से पूर्व उभयपक्ष की उपस्थिति में विवादित आराजी का सीमाज्ञान करवाया जाकर सीमाओं का निर्धारण करते हुए सीमा चिन्ह अंकित करवाकर पत्थरगढ़ी करवाये जाने का आदेश दिनांक 16.11.2022 पारित किया गया।

2. अधीनस्थ न्यायालय के उक्त आदेश दिनांक 16.11.2022 से अप्रसन्न होकर अपीलांट द्वारा भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 अन्तर्गत इस न्यायालय में अपील पेश कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में विधी के सिद्धातो को पूर्ण पालना नही की गई है इसलिए अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्टगण की अनुपस्थिति मे निर्णय पारित किया गया है, जबकि अपीलान्टगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष किसी प्रकार का राजीनामा एंव सहमति पत्र नही दिया गया है। जबकि अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय मे उक्त तथ्यो को अंकित किया गया है इसलिए भी अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्टगण के जवाब प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 6 मे वर्णित (विवादित) कृषि भूमि मे धोरा (सिंचाई हेतु) जिस कारण प्रार्थीगण की भूमि सिकुड गयी है, जबकि अपीलान्टगण द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के खातेदारी भूमि के किसी भी भू–भाग पर अतिक्रमण नही किया गया है उक्त तथ्यों को अनदेखा कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित किया गया है, जो निरस्त होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करने से पूर्व हल्का पटवारी से किसी भी प्रकार की कोई मौका रिर्पोट नही मंगवाई गई है एवं प्रार्थीगण/रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के कथन पर विश्वास करके निर्णय पारित किया गया है, इसलिए अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खारिज होने योग्य है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त फरमाया जावे।

अति. संभा. आयुक्त
कोटा

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये नोटिस/सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने के उपरांत बहस विद्वान अभिभाषक उभयपक्षकारान सुनी गई।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील मे वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय अनुसार सहमति से निर्णय हुआ है। वादग्रस्त आराजी के संबंध में पहले सीमाज्ञान कराकर आपत्ति लेते हुए इसके उपरांत ही पत्थरगढ़ी के आदेश दिये जाने चाहिए थे। ऐसी स्थिति में पहले सीमाज्ञान से आपत्ति होने पर आपत्ति दर्ज करने हेतु प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया जाना आवश्यक हैं। अतः प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किये जाने का अनुरोध किया गया।

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पो0 ने अपने पक्ष के समर्थन में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सहमति के आधार पर निर्णय पारित किया गया है। सहमति के आधार पर किये गये निर्णयों की अपील पोषणीय नहीं होती है। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा उभयपक्षकारान को सुनकर तथा उनकी उपस्थिति में ही उक्तानुसार बाद सहमति के निर्णय पारित किया गया है। अतः अपील अपीलांट अस्वीकार की जाकर खारिज फरमायी जावे।

6. हमने अपील पत्रावली का अवलोकन किया। प्रस्तुत अपील प्रार्थना–पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम के साथ अपील को अवधि मध्य माने जाकर गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करने का अनुरोध किया। रेस्पो0 अभिभाषक द्वारा प्रार्थना–पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम में वर्णित तथ्यों का खण्डन नहीं किया गया और न ही खण्डन में कोई प्रतिउत्तर प्रस्तुत किया। लिहाजा इस स्टेज पर अपील अपीलांट को गुणावगुण पर सुना जाना न्यायोचित प्रकट होता है।

7. उपरोक्त विवेचनानुसार प्रस्तुत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं निर्णय का अवलोकन करने से प्रकट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण का निस्तारण उभयपक्ष की सहमति से हुआ है। सहमति बाबत् कोई आपत्ति अपीलांट द्वारा जाहिर नहीं की गयी। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय अनुसार उभयपक्ष की उपस्थिति में सीमाज्ञान कराया जाकर सीमाचिन्ह अंकित करवाकर पत्थरगढ़ी के आदेश दिये हैं। अपीलांट द्वारा अधीनस्थ

न्यायालय के निर्णय पश्चात् सीमाज्ञान होने एवं उससे संबंधित असहमति संबंधी कोई मौखिक कथन/लिखित दस्तावेज पेश नहीं किये हैं। उक्तानुसार अपीलांट द्वारा अपील मीमों के कथनों को सिद्ध नहीं करने एवं अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय उचित एवं विधिसम्मत होने से किसी प्रकार के हस्तक्षेप की गुंजाइश प्रकट नहीं होती है। परिणाम स्वरूप अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन/बलहीन होने से खारिज की जाती हैं।

8. निर्णय आज दिनांक 16.07.2025 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर सरे इजलास सुनाया गया।

16/7/2025

(ममता कुमारी तिवारी)
अति0 संभागीय आयुक्त
अति. कोटा आयुक्त
कोटा